

**न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला — बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक—1021/2012  
 संस्थित दिनांक—12/12/2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा चौकी, थाना परसवाड़ा,  
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

**विरुद्ध**

कमलेश पटले पिता महेश पटले उम्र—25 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम ठेमा, थाना परसवाड़ा,  
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियुक्त**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक—07/05/2015 को घोषित)**

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—146/196 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—23.09.2012 को सुबह 7:50 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बीजाटोला चौक के पहले पनरिया के घर के सामने मेन रोड लोकमार्ग पर बस क्रमांक—एम.पी.50 ई—0155 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर टक्कर मारकर आहत कृष्णा तिल्लासे को उपहति कारित कर, उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर टक्कर मारकर आहत एच.आर. लानगे को गम्भीर उपहति कारित किया एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.12 को सुबह 07:30 बजे आहत एच.आर. लानगे मोटरसाइकिल चला रहा था तथा आहत कृष्णा पीछे बैठा हुआ था। आहतगण बीजाटोला चौक के थोड़े आगे पहुंचे तो सामने से आ रही कौशल बस क्रमांक—एम.पी.50 ई—0155 के चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक बस को चलाकर उनको ठोस मारकर घायल कर दिया। वे दोनों मोटरसाइकिल सहित नीचे गिर गए, जिससे उसके दाहिने घुटने में व घुटने के नीचे तथा निचले जबड़े में भी लगा था। एच.आर. लानगे के दाहिने घुटने के नीचे लगा था,

जिससे वह चल नहीं पा रहा था। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी कृष्णा द्वारा पुलिस थाना परसवाड़ा में दुर्घटना कारित वाहन के चालक के विरुद्ध की गई। पुलिस द्वारा चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 76/12, धारा-279, 337 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आहतगण का मुलाहिजा कराकर घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार किया गया। आरोपी से दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार किया तथा पुलिस द्वारा आहत एच.आर. लानगे की एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार उसे अस्थिभंग होने के आधार पर तथा दुर्घटना कारित वाहन का बीमा न होने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम का इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338, एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-23.09.2012 को सुबह 7:50 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बीजाटोला चौक के पहले पनरिया के घर के सामने मेन रोड लोकमार्ग पर बस क्रमांक-एम.पी.50 ई-0155 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर टक्कर मारकर आहत कृष्णा तिल्लासे को उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर टक्कर मारकर आहत एच.आर. लानगे को गम्भीर उपहति कारित की ?

4. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया ?

**विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-**

5— फरियादी/आहत कृष्णकुमार तिल्लासे (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना 23 सितम्बर 2012 की है। घटना दिनांक को एच.आर. लानगे शिक्षक के साथ मोटरसाइकिल से नीलामेटा जा रहा था, जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल बीजाटोला के पास पहुंची तो सामने से दो बकरी आ रही थी, जिन्हें देखकर वे अपनी साईड में हो गए थे। सामने से कौशल बस ने आकर उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे वे लोग गिर गए थे और गिरने से उसे सिर पर चोट लगी थी। उक्त साक्षी का कहना है कि एच.आर. लानगे को पैर में चोट लगी थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना परसवाड़ा में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना के समय उसने बस चालक को देख नहीं पाया था। उक्त दुर्घटना बस चालक की गलती से हुई थी, क्योंकि वे लोग अपनी साईड में थे। उनका ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा और बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त बस कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि यदि वाहन के सामने बकरी नहीं आती तो उक्त दुर्घटना नहीं होती तथा दुर्घटना में बस चालक की लापरवाही नहीं थी। इस प्रकार साक्षी ने घटना में उसे तथा आहत एच.आर. लानगे को चोट कारित होने की पुष्टि की है, किन्तु उक्त दुर्घटना में आरोपी की दुर्घटना कारित वाहन बस के चालक के रूप में पहचान नहीं की है और न ही बस चालक की लापरवाही व गलती से दुर्घटना कारित होने के संबंध में साक्षी ने अभियोजन का समर्थन किया है।

7— हिवराम लानगे (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना 23 सितम्बर 2012 की सुबह 7:30 बजे की है। घटना दिनांक को वह कृष्णा तिल्लासे के साथ मोटरसाइकिल से कुमनगांव से परसवाड़ा आ रहा था। घटना के समय वह मोटरसाइकिल चला रहा था। जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल बीजाटोला चौराहे के आगे अपनी साईड से चल रही थी, तभी बीच रोड

में कुछ बकरियां आ गई थी, तभी परसवाड़ा से बीजाटोला की ओर कौशल बस आ रही थी, उस समय उसने मोटरसाइकिल को रोड के नीचे उतार दिया था, तभी बस चालक ने उनकी साईड में बस का लाकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया था, जिससे वे मोटरसाइकिल सहित नीचे गिर गए थे और उसके पैर के उपर से बस का चक्का चला गया था। उक्त दुर्घटना में उसका पैर टूट गया था और जांघ तथा घुटने में चोट लगी थी। घटना के समय वह बस चालक को देख नहीं पाया था, क्योंकि वह बेहोश हो गया था। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा और बालाघाट में हुआ था। उसके पश्चात् उसे नागपुर रेफर कर दिया गया था, जहां डॉक्टर टाबरी के यहां उसका ईलाज हुआ था। उक्त दुर्घटना बस चालक की गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

8— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि बस चालक बस को उतावलेपन एवं तेजी से नहीं चला रहा था और बकरियां नहीं होती तो दुर्घटना नहीं होती। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में दुर्घटना कारित वाहन बस के चालक के रूप में स्पष्ट पहचान नहीं की है तथा यह प्रकट किया है कि घटना के समय वह बस के चालक को नहीं देख पाया था। इसके अलावा इस साक्षी ने दुर्घटना कारित बस के चालक के द्वारा उतावलेपन व तेजी से वाहन नहीं चलाए जाने के तथ्य को स्वीकार कर दुर्घटना में बस के चालक की गलती न होना प्रकट किया है। साक्षी ने दुर्घटना में उसे चोट कारित होने की पुष्टि की है, किन्तु अपनी साक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

9— प्रहल्लाद ठाकरे (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह एच.आर. लानगे को जानता है, जो प्राथमिक शाला कुमनगांव में शिक्षक हैं। घटना वर्ष 2012 की है। घटना दिनांक को जब वह अपने घर पहुंचा तो उसे जन चर्चा के दौरान यह पता लगा कि एक बस व मोटरसाइकिल की दुर्घटना हो गई है, जिसमें लानगे शिक्षक को चोट आई थी। उक्त दुर्घटना में लानगे शिक्षक का पैर टूट गया था। उक्त दुर्घटना कौशल बस द्वारा हुई थी, जो परसवाड़ा थाने में खड़ी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि दुर्घटना उसके सामने नहीं हुई थी और दुर्घटना के समय वाहन कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था। साक्षी ने दुर्घटना में आहत एच.आर. लानगे को चोट कारित होने की पुष्टि की है, किन्तु अपनी साक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में



अभियोजन का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

10— मो. यूसूफ (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। आहतगण को जानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व की है। आहतगण की दुर्घटना कौशल बस से हुई थी। उसके बाद वह घटनास्थल पर देखने गया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने अभियोजन मामलों का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

11— रमेश पटले (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। आहतगण को जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व सुबह 7-7:30 बजे बीजाटोला मेन रोड की है। घटना के समय वह अपने घर के अंदर था। जब उसे दुर्घटना होने की आवाज सुनाई दी तो वह घर से निकलकर दुर्घटनास्थल पर गया था, जहां पर कौशल बस खड़ी थी और बस के सामने आहतगण गिरे हुए थे। उक्त दुर्घटना में आहत लानगे का पैर टूट गया था एवं आहत कृष्णा को चोटें आई थी। उसने बस के ड्राइवर को नहीं देखा था। पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि दुर्घटना कारित बस के चालक ने बस को तेज गति व लापरवाही से चलाकर आहतगण को टक्कर मार दी थी और उस समय उक्त बस को आरोपी चला रहा था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने उक्त दुर्घटना में आहतगण को चोट कारित होने की पुष्टि की है, किन्तु अपनी साक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

12— अन्य साक्षी उत्तमचंद आहूजा (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी कमलेश पटले को नहीं जानता। वाहन बस क्रमांक-एम. पी-50/ई 0155 उसकी बस थी, जो उसने कौशल वाले को बेच दिया था। घटना के समय आर.सी. बुक में वाहन स्वामी के रूप में उसका ही नाम था। उससे पुलिस ने बस के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि दुर्घटना कारित वाहन का स्वामी होते हुए उसने आरोपी को घटना के समय चालक के रूप में नियुक्त किया था और आरोपी ही बस को चला रहा था। इस प्रकार साक्षी ने दुर्घटना कारित वाहन बस के स्वामी होते हुए घटना के समय आरोपी

को बस चलाने हेतु दिए जाने के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

13— संजय साहू (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह विगत 15 साल से बस का ड्राइवर है। दिनांक-25.09.2012 को उसके द्वारा बस क्रमांक-एम.पी-50/ई 0155 का परीक्षण किया गया था। परीक्षण पर बस के ब्रेक, स्टेरिंग, क्लच, एक्सीलेटर सभी ठीक थे। उसने वाहन को सही हालत में पाया था। उसकी वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने वाहन के परीक्षण के संबंध में कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

14— डॉ. व्ही.पी. समद (अ.सा.9) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-23.09.2012 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में अस्थि रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत कृष्णा एवं एच.आर. लानगे जो जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती थे, जिनकी भर्ती पर्ची प्रदर्श पी-9 एवं प्रदर्श पी-10 है। उसके द्वारा आहत कृष्णा को जो ट्रीटमेंट दिया गया था, जो प्रदर्श पी-9 के पृष्ठ भाग पर अंकित है और आहत कृष्णा को दाहिने घुटने की सलाह दी गई थी। प्रदर्श पी-9 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत एच.आर. लानगे के दांयी पैर में आयी चोट के लिए उसके द्वारा एक्सरे की सलाह प्रदर्श पी-10 के माध्यम से दी गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत एच.आर. लानगे को चोट अधिक होने के कारण ईलाज हेतु उच्च मेडिकल संस्थान की सलाह दी गई थी। प्रदर्श पी-10 में आहत एच.आर. लानगे को दी गई मेडिकल ट्रीटमेंट का उल्लेख है।

15— डॉ. डी.सी. धुर्वे (अ.सा.10) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-23.09.2012 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक रविन्द्र क्रमांक-1167, थाना परसवाड़ा द्वारा कृष्णा पिता उमेदलाल उम्र-35 वर्ष, निवासी कुमनगांव थाना परसवाड़ा को परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसने आहत के शरीर पर तीन चोटें पाई थी। जिसमें उसने आहत के सिर के पीछे एक कटा-फटा घाव एवं दाहिने घुटने एवं दाढ़ी पर खरोंच होना पाया था। उक्त साक्षी ने अपने अभिमत में कहा है कि आहत को आई सभी चोटें कड़ी एवं बोथरी व खुरदुरी वस्तु द्वारा पहुंचाई गई थी, जो उसके परीक्षण के 6 घंटे के भीतर की थी। चोट क्रमांक-1 व 2 के लिए उसने आहत को अग्रिम ईलाज के लिए भर्ती कर दिया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त

दिनांक को ही उसी आरक्षक के द्वारा आहत एच.आर. लानगे का परीक्षण करने पर उक्त आहत के दाहिने पैर में सूजन व दाहिने आँख की भों में खरोंच होना पाया था। उक्त आहतगण की ओ.पी.डी एवं इंडोर पर्ची प्रदर्श पी-9 एवं प्रदर्श पी-10 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार उक्त चिकित्सीय साक्षी ने घटना के समय आहतगण कृष्णा एवं एच.आर. लानगे को उपहति कारित होने की पुष्टि की है।

16— अनुसंधानकर्ता पुष्पेन्द्र पटले (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-23.09.2012 को सहायक उपनिरीक्षक के पद पर परसवाड़ा में पदस्थ होते हुए उसने कृष्णा की मौखिक रिपोर्ट पर बस क्रमांक एम.पी-50 ई-0155 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लेख की थी तथा आहत कृष्णा व एच.आर. लानगे का मुलाहिजा कराया था। उसने विवेचना के दौरान कृष्णा की निशानदेही पर नजरीनक्शा प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-6 के अनुसार उक्त दुर्घटना कारित बस के दस्तावेज जप्त किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी कमलेश पटले को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्त मोटरसाइकिल का उसके द्वारा विधिवत् मैकेनिक से मैकेनिकल परीक्षण कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया गया है। आहत को फ्रेक्चर होने से एवं वाहन को बिना बीमा कराये चलाए जाने से धारा-338 भा.द.वि. एवं धारा-146/196 मो.व्ही.एक्ट की बढ़ाई गई थी।

17— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। यद्यपि अनुसंधानकर्ता की समर्थनकारी साक्ष्य का मामले में अधिक महत्व नहीं रह जाता, जबकि अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्षीगण ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

18— मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने घटना के समय दुर्घटना कारित बस के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है। इसके अलावा आहतगण ने स्वयं अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय दुर्घटना कारित बस के चालक की दुर्घटना में कोई गलती नहीं थी, बल्कि रास्ते में बकरी आ जाने के कारण उक्त दुर्घटना कारित हुई थी। इस प्रकार उक्त तथ्य से यह

प्रमाणित नहीं होता है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ही दुर्घटना कारित वाहन का चालन किया जा रहा था। ऐसी दशा में आरोपी के कथित वाहन के उतावलेपन या उपेक्षा से चालन किये जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है और न ही उक्त कारण से आहतगण को उपहति कारित होना प्रकट होता है। मामलों में आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन बस का चालन किया जाना प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में मात्र जप्ती कार्यवाही के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी उक्त दुर्घटना कारित वाहन बस को घटना के समय बिना बीमा के चालन किया था।

19— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर बस क्रमांक—एम.पी. 50 ई—0155 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर टक्कर मारकर आहत कृष्णा तिल्लासे को उपहति तथा आहत एच.आर. लानगे को गम्भीर उपहति कारित किया एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

20— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक—एम.पी.50 ई—0155 को मय दस्तावेज के सुपुर्ददार उत्तमचंद आहूजा वल्द संगतमल आहुजा निवासी—वार्ड नंबर—5 विवेकानंद कॉलोनी वारासिवनी, थाना व तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट